समाहरणालय, शेखपुरा

(पंचायत शाखा)

-:आदेश:-

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3302/पं0रा0, दिनांक 14.06.2018 एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के आदेश ज्ञापांक 366/स्था0 दिनांक 05.07.2018 द्वारा जिला में संधारित कार्यपाल सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु अनुसार प्राप्त कार्यपालक सहायको की सेवा के आलोक नियोजित करते हुए निम्न कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे अपने नियोजित कार्यालय में अपना योगदान अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।

क्र0	कार्यपालक सहायक का नाम	पिता/ पति का नाम	पता एवं मोबाईल नं0	पदस्थापन प्रखंड कार्यालय का नाम
1	4	5	6	9
01.	बालकृष्ण	श्री बासो चौधरी	आईटी अधिनियम 2000 और आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन पर, पूर्ण पता और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को सेंसर किया गया है मो0– 8409XXXXXX शेखपुरा	चेवाड़ा
02.	कुंदन कुमार	श्री महेश प्रसाद	आईटी अधिनियम 2000 और आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन पर, पूर्ण पता और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को सेंसर किया गया है मो0– 9006XXXXXX पटना	घाटकुसुम्भा
03.	पुनम कुमारी	श्री राजेश कुमार	आईटी अधिनियम 2000 और आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन पर, पूर्ण पता और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को सेंसर किया गया है मो0– 99558XXXXXX शेखपुरा,	शेखपुरा
04.	विकास कुमार	श्री विजय प्रसाद	आईटी अधिनियम 2000 और आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन पर, पूर्ण पता और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को सेंसर किया गया है मो0– 9122XXXXXX शेखपुरा,	शेखोपुरसराय
05.	अनुषा कुमारी	श्री बिरजु चौधरी	आईटी अधिनियम 2000 और आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन पर, पूर्ण पता और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को सेंसर किया गया है मो0– 82710XXXXXX शेखपुरा,	अरियरी
06.	मंजू कुमारी	स्व0 भोला यादव	आईटी अधिनियम 2000 और आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन पर, पूर्ण पता और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को सेंसर किया गया है मो0– 9534XXXXXX शेखपुरा,	बरबीघा

नियोजन के लिए शर्तें :-

1. उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/–(ग्यारह हजार तीन सौ पैंतालीस) रूपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा।
2. नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्युटर हार्डवेयर लाना होगा।
   - (क) डेस्क टॉप
   - (ख) एक प्रिंटर
   - (ग) एक यू0पी0 एस0
   - (घ) इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
3. कम्प्युटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
4. यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एंव आवश्यकतानुसार सेवा अवधी बढ़ायी जा सकेगी। नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यो का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा।
5. नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। पूर्व सूचना दिए बिना त्याग पत्र देने पर उस माह का मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. योगदान के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो), दो फोटो तथा नियोजन की शर्त मानने संबंधी एकरारनामा एवं असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा।

8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्र/वांछित कागजात यदि गलत पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।

10. नियोजन अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा।

11. ससमय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर संविदा स्वतः रद्द हो जायेगी। इसके लिए कोई अलग से पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा एवं जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रिक्ति स्थान पर नियोजन की प्रक्रिया की जायेगी।

ह0/–
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
शेखपुरा

ज्ञापांक 309 / पं0 शेखपुरा, **दिनांक 9 / 07 / 2018**

प्रतिलिपि :– संबंधित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शेखपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डी0आई0ओं, एन0आई0सी0, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि नियोजन पत्र को जिला के साईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, शेखपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

9.7.18

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
शेखपुरा